

झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची-834008 दूरभाष:(0651)2552398 ईमेल-tcdc.jharkhand@gmail.com

अनुसूचित जनजाति (ST) के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए आवश्यक सूचना

झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति(ST) के बेरोजगार युवक/युवतियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर आधारित निम्नोक्त योजनाओं को लेने हेतु इच्छुक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07.12.2020 है।

योजना का नाम :- सामान्य ऋण योजना, लघु-ऋण वित्त योजना, व्यवसायिक वाहन ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, सूक्ष्म ऋण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, आदिवासी वास्तुकार/शिल्पकार ऋण योजना।

नोट : इस संबंध में विस्तृत जानकारी झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड, राँची के प्रधान कार्यालय या किसी भी शाखा कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन प्राप्त एवं जमा करने हेतु प्रमण्डलीय कार्यालय का पता :-

क्र.स	जिला का नाम	निगम का प्रमण्डलीय शाखा कार्यालय	दूरभाष
1	राँची / खूँटी / सिमडेगा / लोहरदगा / गुमला	राँची शाखा- बलिहार रोड, मोराबादी, राँची	8084622679
2	हजारीबाग / रामगढ़ / चतरा / कोडरमा / धनबाद / बोकारो / गिरिडीह	हजारीबाग शाखा- बहुउद्देशीय भवन, नियर ट्रेकर बस स्टैंड, हजारीबाग।	7004600628
3	लातेहार / पलामू / गढ़वा	डालटेनगंज शाखा- गुलाबझरी भवन, बाईपास रोड, डालटेनगंज।	9031825488
4	पूर्वी सिंहभूम / पश्चिमी सिंहभूम / सरायकेला- खरसावां	चाईबासा शाखा- यूरोपियन क्वाटर, वार्ड नं.-9, चाईबासा	9934134105
5	जामताड़ा / देवघर / दुमका / गोड्डा / साहेबगंज / पाकुड़	दुमका शाखा- कचहरी हाता, कॉर्पोरेटिव बैंक के सामने, दुमका।	9905187885

आवेदन पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी से निम्नोक्त प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

- 1) आवेदक का नवीनतम 2(दो) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- 2) झारखण्ड राज्य से ऑनलाईन(online) निर्गत i) जाति प्रमाण पत्र ii) आय प्रमाण पत्र एवं iii) आवासीय प्रमाण पत्र।
- 3) उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र - विद्यालय या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत।
- 4) आधार कार्ड एवं बैंक खाता नम्बर(पासबुक के प्रथम पृष्ठ) की छायाप्रति
- 5) तकनीकी योग्यता, यदि योजना के लिए आवश्यक हो।
- 6) संचालित की जाने वाली योजना से संबंधित योजना प्रस्ताव की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) वाहन ऋण के आवेदकों के लिए
 - i) कम-से-कम एक वर्ष पहले का बना हुआ व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेन्स की छायाप्रति।
 - ii) वाहन का कोटेशन।

आवेदक के लिए शर्तें :-

1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
2. आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो।
3. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 1,50,000/-रु० एवं शहरी क्षेत्र में 3,00,000/-रु० से अधिक न हो।
4. आवेदक सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में न हों। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. किसी भी परिवार से एक ही आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
7. रु० 50,001/- से अधिक के ऋण हेतु योजना प्रस्ताव देना होगा।
8. 50,001/- रु० से अधिक की परियोजना इकाई के कुल लागत का 5% राशि आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा।
9. लाभार्थी किसी भी ऐसी योजना का चयन कर सकते हैं जो उनके व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो।
10. लाभार्थी स्वयं योजना के संबंध में सोच विचार कर इसकी परियोजना/ योजना लागत की विवरणी एवं अगले दो तीन वर्षों के प्रस्तावित योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा इसकी विवरणी आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।
11. इच्छुक लाभुक अपने आवश्यकता, अपने कार्य क्षमता-दक्षता तथा प्रचलित व्यवसाय को ध्यान में रखकर ही आवेदन करें।
12. स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित National Rural Livelihood Mission (NRLM) अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों एवं RBI द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्वयं सहायता समूहों को आय सम्बद्धन हेतु ऋण की राशि मुहैया करायी जाएगी।

गारन्टर

1. 50,000/-रु० तक के ऋण के लिए चयनित लाभुक स्वयं गारन्टरदाता होंगे, परन्तु उन्हें एक गवाह प्रस्तुत करना होगा।
2. 50,001-2,50,000/-रु० तक के ऋण के लिए एक गारन्टर देना अनिवार्य होगा। गारन्टर के रूप में सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम-से-कम 5 वर्ष बची हुई हो तथा ऐसा कोई भी सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आयकर दाता हो गारन्टर हो सकते हैं।
3. 2,50,001-25,00,000/-रु० तक के ऋण के लिए दो गारन्टर देना अनिवार्य होगा। गारन्टर के रूप में सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम-से-कम 5 वर्ष बची हुई हो तथा ऐसा कोई भी सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आयकर दाता हो गारन्टर हो सकते हैं।

ऋण अनुदान का प्रावधान - ऋण अनुदान 25% की दर से या अधिकतम रु० 2,50,000/- दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को भुगतये होगा। ऋण अनुदान उस वक्त लाभुकों को देय होगी जब उनके द्वारा लिए गए ऋण का मूलधन तथा ब्याज की राशि ऋण अनुदान की राशि के समतुल्य शेष हो। ऋण अनुदान की राशि प्रत्यक्ष रूप से लाभुक को भुगतये नहीं होगी, परन्तु इसका लाभ लाभुक द्वारा लिए गये ऋण एवं ऋण वापसी की प्रक्रिया में जब ऋण का मूलधन तथा ब्याज की राशि (Equated Monthly Installment) ऋण अनुदान की राशि के समतुल्य शेष होगी, उस स्थिति में बचे हुए शेष ऋण का समायोजन ऋण अनुदान की राशि से किया जायगा। ऋण अनुदान 25% की दर से या अधिकतम रु० 2,50,000/- दोनों में से जो कम हो, का लाभ लाभुकों को तभी देय होगा जब लाभुकों द्वारा नियमित रूप से EMI का भुगतान संबंधित निगम को किया जायगा। तीन लगातार माह का EMI लाभुक द्वारा भुगतान नहीं करने की स्थिति में उक्त लाभुक को Default List में रखते हुए ऋण अनुदान की राशि के लाभ से वंचित रखा जायगा।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक,

झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, राँची।